संख्या- 140/2020/1019/41-2020-100(बजट)/2017

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 08 जुलाई 2020**

विषयः- जनपद अलीगढ में स्थित श्री ठा0 बल्देवजी महाराज मंदिर परिसर में स्थित कुण्ड के सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6788/6-1-1(914)/2019-20, दिनांक 06 मार्च, 2020 एवं पत्र सं0-697/6-1-1(914)/2018 दिनांक 19 जून 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. **जनपद अलीगढ में स्थित श्री ठा0 बल्देवजी महाराज मंदिर परिसर में स्थित कुण्ड के सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु नामित** कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 द्वारा गठित किये गये आगणन के सापेक्ष राज्य योजनान्तर्गत शासनादेश सं0-92/2018/1212/41-2018-100(बजट)/2017 दिनांक- 29-3-2018 द्वारा रू0-143.62 लाख की प्रशासकीय एवं रू0-50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं0-26/2019/3623/41-2018-100 (बजट)/2017 दिनांक- 18-1-2019 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0-50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। तदनन्तर शासनादेश सं0-150/2019/1358/41-2019-100 (बजट)/2017 दिनांक- 02-5-2019 द्वारा अप्रेजल समिति की बैठक दि0.6-2-2019 में प्रायोजना की आंकलित लागत के क्रम में रू0-126.74लाख+जी0एस0टी0 की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति एवं अवशेष धनराशि रू0-26.74लाख की धनराशि अवमुक्त की गई । उक्त के क्रम में पर्यटन निदेशालय द्वारा निम्नांकित तालिका में अंकित विवरणानुसार जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है -

क्र0	**कार्य का नाम**	**प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** (धनराशि रू0 लाख में)	**जी0एस0टी0 मद में जमा की गई धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**
1	**जनपद अलीगढ में स्थित श्री ठा0 बल्देवजी महाराज मंदिर परिसर में स्थित कुण्ड के सौन्दर्यीकरण के कार्य**	रू0-126.74लाख +जी0एस0टी0	**रू0- 15,20,880.00**
	योग	रू0-126.74लाख +जी0एस0टी0	**रू0- 15,20,880.00**

3. पर्यटन निदेशालय के प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर-2 में अंकित सारिणी के कॉलम -4 में अंकित विवरण् के अुनसार जी0एस0टी0 की कुल धनराशि रू0 **रू0- 15,20,880.00** (रूपये पन्द्रह लाख बीस हजार आठ सौ अस्सी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश सं0-92/2018/1212/41-2018-100(बजट)/2017 दिनांक- 29-3-2018, शासनादेश सं0-26/2019/3623/41-2018-100 (बजट)/2017 दिनांक- 18-1-2019 एवं शासनादेश सं0-150/2019/1358/41-2019-100 (बजट)/2017 दिनांक- 02-5-2019 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय समय पर शासन द्वारा निर्गत किये गये शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा ।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(5) प्रश्नगत स्वीक़ति महानिदेशक पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर दी जा रही है। यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो उसका उत्तरदायित्व आपका होगा।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वितीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-627/दस-2020 दिनांक 07 जुलाई 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 140 /2020/1019/41-2020-100(बजट)/2017 तद्दिनॉक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी, अलीगढ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
7- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, प्रखण्ड -1 अलीगढ ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
10- उप निदेशक,पर्यटन आगरा।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in